एन. सी. दास

बनाम

एम.ए. मोहसिन और एक अन्य

9 सितंबर, 1997

[एस. पी. भरुचा और एम. जगन्नाधा राव, जे.जे.]

न्यायालय की अवमानना - न्यायालय के आदेश का कथित रूप से पालन न करने के लिए विरोधी पक्षों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका - उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उस आदेश का पालन किया गया था और आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है - अपील - अवमानना कार्यवाही में अभिनिर्धारित किया, जैसे कि ये, एक अपीलीय न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि आदेश पूरी तरह से विकृत न हो - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विकृति नहीं है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 15812/ 1997

एम. जे. सी. सं. 699/ 1996 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 2.5.97 के निर्णय और आदेश से।

देब प्रसाद मुखर्जी, बी. कर गुप्ता और संजय घोष, याचिकाकर्ता की और से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

यह उच्च न्यायालय पटना के एक आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका है जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने से इनकार कर दिया गया है।उच्च न्यायालय ने जो कहा, वह यह हैः

"मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित श्री पी. के. सिन्हा और श्री जय नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है, और ओ.पी. द्वारा पेश कारण दर्शाओ पर भी विचार किया। यद्यपि ओ.पी. का आचरण बहुत निष्पक्ष नहीं प्रतीत होता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई आदेश पारित करना उचित और सही होगा। चूंकि ओ.पी. द्वारा निर्णय और आदेश का पालन किया गया है, इसलिए इस संबंध में आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। श्री पी.के.सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को पदोन्नति दे दी गई है, लेकिन सभी परिणामी लाभों का भुगतान उसे नहीं किया गया है।यह कहे बिना कि यदि याचिकाकर्ता सभी आवश्यक दस्तावेज और कागजात प्रस्तुत करता है तो विरोधी पक्षों के लिए सभी परिणामी लाभों के भुगतान के लिए आवश्यक आदेश पारित नहीं करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस अवमानना आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

सुनवाई की शुरुआत में, हमने विद्वान अधिवक्ता से कहा कि इस तरह की अवमानना कार्यवाही में, एक अपीलीय न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि आदेश पूरी तरह से विकृत न हो। फिर भी, विशेष अनुमति याचिका पर विस्तार से बहस की गई है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें कोई विकृति नहीं है।

अवमानना क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जाना चाहिए या उस अपीलार्थी को कथित अवमाननाओं के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

आर. पी.

याचिका खारिज की गई।